न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/140/2017

वउनवान

1. भगवानसिंह पुत्र श्री केहरीसिह जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर

——— वादी

बनाम

1. केहरीसिंह पुत्र सिर्रूसिंह जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर

——— प्रतिवादी

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–

श्री भागचन्द जैन एडवोकेट : वकील वादी

निर्णय

दिनांक 16.01.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 468, 479, 453 वाके ग्राम मसारी व खसरा नम्बर 583, 532, 549, 602, 621, 229 मिन, 172, 173, 457, 458, 556, 579,470, 472, 526, 527, 545, 546, 476, 253, 255, 256, 299, 310, 314, 315, 317, 322 ग्राम रेटा तहसील कठूमर में स्थित है। विवादित आराजी में प्रतिवादी केहरीसिंह के नाम दर्ज आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा है। वादी वो प्रतिवादी पिता पुत्र है। वादी ने परिवार का सजरा दावा के पैरा संख्या 2 में अंकित किया है। सिर्रूसिंह वादी के सगे बाबा थे सिर्रूसिंह दिनांक 31.01.2000 को फौत हो गये। जिन सिर्रूसिंह के तीन लडके केहरीसिंह जलसिंह व राजेश व वेवा सफेदी है। जिनमें से जलसिंह ना औलाद फोत हो गया। वादी के बाबा सिर्रूसिंह के मरने पर उनका विरासत इन्तकाल उनके तीनों लडके व वेवा के

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

नाम दर्ज वो तस्दीक हो गया। जलसिंह के फौत होने पर उसका विरासत इन्तकाल उसकी मां मु0 सुफेदी के नाम हो गया। इस प्रकार सिर्रूसिंह की आराजी 1/2 हिस्सा सुफेदी के नाम व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज हो गई तथा शेष 1/4 हिस्सा राजेश की खातेदारी में दर्ज हे गई। सुफेदी वादी की सगी दादी है जिसके कानूनी वारिस उसके दो पुत्र प्रतिवादी वो राजेश तथा पांच लडकियां कमशः किरनदेई हरदेई हीरादेवी ववीता वो तारादेवी है। जिन पांचो लडकियों ने ग्राम मसारी वो ग्राम रेटा की स्वंय के 5/7 हिस्से की आराजी को सगे भाई राजेश के हक में हक त्याग कर दिया। इस प्रकार वादी की दादी से मिली कृषि भूमि में प्रतिवादी का 1/7 हिस्सा वो शेष 6/7 हिस्सा राजेश को प्राप्त हो गया। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है। जिसमें वादी को जन्म से ही हक वो अधिकार पैदा हो चुके है। वादी विवादित आराजी पर शामलात में काश्त करता चला आ रहा है। इस वजह से वादी प्रतिवादी के नाम दर्ज आराजी में 1/2 हिस्सा की आराजी की घोषणा कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी जबर्दस्त व्यक्ति है जो विवादित आराजी में वादी के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है व वादी को वेदखल कर खुद कब्जा करने की धमकी देता है जवकि प्रतिवादी को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अतः वादी ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 468, 479 के 9/112 हिस्सा खसरा नम्बर 453 के 9/56 हिस्सा ग्राम मसारी व खसरा नम्बर 583, 532, 549, 602, 621, 229 के 9/112 हिस्सा खसरा नम्बर 172, 173, 457, 458, 553 के 9/56 हिस्सा खसरा नम्बर 579 के 1/14 हिस्सा खसरा नम्बर 470, 472, 526, 527, 545, 546 में से 9/224 हिस्सा खसरा नम्बर 476 के 3/224 हिस्सा खसरा नम्बर 253, 255, 256, 299, 310, 314, 315,317,322 के 27/8084 हिस्सा वाके गांव रेटा तहसील कठूमर की आराजी अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने व प्रतिवादी को वादी के उपरोक्त हिस्सानुसार कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करने हेतु पाबन्द कराने व दावा मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी हाजिर अदालत आया। वादी एंव प्रतिवादी ने दिनांक 27.07.2017 को हाजिर अदालत होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है व दावा के

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

अनुतोष मुताविक विवादित आराजी पर वादी का कब्जा होना व विवादित आराजी पैत्रिक होना स्वीकार करते हुये दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वादी ने अपने वाद पत्र के साथ जमाबन्दी हाल प्रदर्श 1 से 12 विरासत इन्तकाल प्रदर्श 13 व प्रदर्श 14 पेश किये है। जो शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी भगवानसिंह पी डब्ल्यू 1, गवाह रामवीर पी डब्ल्यू 2 के वयान रेकार्ड कराये है जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी पैत्रिक आराजी है जिसमें वादी को जन्म से ही हक वो अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रतिवादी के नाम दर्ज आराजी में वादी 1/2 हिस्से पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी स्वंय ने राजीनामा पेश कर अपने नाम दर्ज आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त होना व विवादित आराजी पैत्रिक होना तथा दावा वादी मुताविक अनुतोंष डिक्री किये जाने की सहमति दी है। प्रतिवादी स्वंय ने वादी के दावा के तथ्यों को स्वीकार किया है। पैत्रिक आराजी में पिता के जीवित रहते हुये पुत्र को अधिकार पैदा होते हैं। अधिवक्ता वादी ने अपने कथनों की पुष्टि में 1978 आर आर डी पेज 375, 1990 आर आर डी पेज 32, 2010 आर आर डी पेज 737 की छाया प्रति पेश की है। वादी को अपने दावा सावित करने के लिये निम्न विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :

1.क्या भूमि पैत्रिक है।

2.क्या प्रतिवादी के हिस्से की दर्ज रेकार्ड आराजी पर वादी का1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त है।

3.क्या पैत्रिक आराजी में पिता के जीवित रहते पुत्र को अधिकार पैदा होते है।

उक्त विन्दुओं पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार से है

हमने पत्रावली के तथ्यों पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रेकार्ड प्रदर्श 1 से 14 व गवाह पी डब्ल्यू 1, पी डब्ल्यू 2, राजीनामा व प्रस्तुत कानूनी नजीरों का

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़(अलवर)

Scanned by CamScanner

अध्ययन किया। प्रदर्श 1 से 12 जमाबन्दी हाल ग्राम मसारी व ग्राम रेटा में विवादित आराजी दावा के पैरा संख्या 2 में अंकित हिस्सा अनुसार प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज है। प्रदर्श 12 इन्तकाल संख्या 1899 वाके ग्राम मसारी व इन्तकाल संख्या 311 वाके ग्राम रेटा मृतक सिर्रूसिंह के है जिनमें वादी के दादा सिर्रूसिंह का ग्राम मसारी व रेटा की आराजी का विरासत इन्तकाल सभी वारिसान के नाम दर्ज वों तस्दीक हुआ है। विरासत इन्तकालों के अवलोकन से विवादित आराजी ग्राम रेटा व मसारी वादी के दादा सिर्रूसिंह से प्रतिवादी को विरासत में प्राप्त होना प्रमाणित है। जहां तक पैत्रिक आराजी में पिता के जीवित रहते उसके पुत्र को अधिकार प्राप्त होने का है इस विन्दु को सावित करने के लिये अधिवक्ता वादी ने कानूनी नजीरें प्रस्तुत की है जो प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। इसके फलस्वरूप प्रतिवादी स्वंय ने राजीनामा पेश कर विवादित आराजी पैत्रिक विरासत से प्राप्त होना व खुद के नाम दर्ज हिस्सा में वादी का 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त होना कथन किया है जो प्रतिवादी का स्वीकारोक्ति कथन है। गवाह पी डब्ल्यू 1 स्वंय वादी भगवानसिंह विवादित आराजी में प्रतिवादी के नाम दर्ज आराजी में अपना 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त होना व गवाह पी डब्ल्यू 2 प्रतिवादी के नाम दर्ज आराजी में 1/2 हिस्से पर वादी का कब्जा काश्त होना कथन करते है। उपरोक्त विवेचन से सावित है कि विवादित आराजी पैत्रिक विरासत से प्राप्त है। प्रतिवादी के नाम दर्ज आराजी में वादी का 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड, राजीनामा, गवाहान व प्रस्तुत कानूनी नजीरों के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता वादी की वहस पर मनन करने पर दावा वादी सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

आदेश

दावा वादी मुताविक राजीनामा एंव रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज हिस्से में से 1/2 भाग का डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बरान 468 रकवा 1.67 हे., 479 रकवा 1.52 हे. के 9/112 हिस्से का खसरा नम्बर 453 रकवा 0.83 हे. के 9/56 हिस्सा ग्राम मसारी व खसरा नम्बरान 583, 532, 549, 602, 621, 229 के 9 /112 हिस्से का खसरा नम्बर 172, 173, 457, 458, 553 में 9/56 हिस्से का खसरा नम्बर 579 के 1/14 हिस्से का खसरा नम्बर 470, 472, 526, 527, 545, 546 के 9/224 हिस्से का खसरा नम्बर 476 के 3/224 हिस्से का खसरा नम्बर 253, 255, 256, 299, 310, 314, 315, 317, 322 के 9/2688 हिस्सा वाके गांव रेटा तहसील कठूमर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी को पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के हिस्सा के अनुसार उक्त आराजी में कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 16.01.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/140/2017

वउनवान

1. भगवानसिंह पुत्र श्री केहरीसिह जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर

----- डिक्रीदार

बनाम

1. केहरीसिंह पुत्र सिर्रीसिंह जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर

---- मदयून

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादी मुताविक राजीनामा एंव रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज हिस्से में से 1/2 भाग का डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बरान 468 रकवा 1.67 हे., 479 रकवा 1.52 हे. के 9/112 हिस्से का खसरा नम्बर 453 रकवा 0.83 हे. के 9/56 हिस्सा ग्राम मसारी व खसरा नम्बरान 583, 532, 549, 602, 621, 229 के 9/112 हिस्से का खसरा नम्बर 172, 173, 457, 458, 553 में 9/56 हिस्से का खसरा नम्बर 579 के 1/14 हिस्से का खसरा नम्बर 470, 472, 526, 527, 545, 546 के 9/224 हिस्से का खसरा नम्बर 476 के 3/224 हिस्से का खसरा नम्बर 253, 255, 256, 299, 310, 314, 315,317,322 के 9/2688 हिस्सा वाके गांव रेटा तहसील कठूमर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी को पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के हिस्सा के अनुसार उक्त आराजी में कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करे।

आज दिनांक 16.01.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर वो मुहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner